



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55351

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9040 वर्ष 2026

अनिल कुमार दुबे

...याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बिनोद कुमार राय, सुनील शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 36

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा की ओर से उपस्थित श्री कृष्ण कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित श्री राहुल जैन (सुश्री मंजरी सिंह की ओर से उपस्थित), और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 1 के दिनांक 18.3.2025 के आदेश और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर पारित दिनांक 14.8.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने 23.11.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में एक आवेदन दायर किया था। यह जानकारी याचिकाकर्ता को जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी के पत्र द्वारा 21.12.2023 को प्रदान की गई थी। इस जानकारी से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता को कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि जब प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की निष्क्रियता के संबंध में राज्य सूचना आयुक्त, प्रतिवादी संख्या 1, के समक्ष 2005 के अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने उनकी 2005 के अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर शिकायत को 2005 के अधिनियम की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील मानते हुए दिनांक 18.3.2025 का आदेश पारित किया, जिसमें यह माना गया कि याचिकाकर्ता को उसके मूल आवेदन के तहत आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इस आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 14.8.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि 18.3.2025 को याचिकाकर्ता ने अपना लिखित निवेदन प्रस्तुत किया था और उसकी शिकायत/दूसरी अपील पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। बाद में उसे 19.3.2025 को एसएमएस के माध्यम से एक संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी शिकायत पर अगली सुनवाई की तारीख 16.4.2025 तय की गई है। हालांकि, अपील का निस्तारण कर दिया गया है, भले ही याचिकाकर्ता को वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

6. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज की थी 2005 के अधिनियम के तहत, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ जांच करनी थी। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि दिनांक 18.3.2025 का आदेश याचिकाकर्ता की शिकायत पर अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत पारित किया गया है, न कि दूसरी अपील के रूप में।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 4.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, 2005 के अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एक शिकायत के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 28.2.2025 को जारी नोटिस में भी इसे एक शिकायत के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम शिकायतकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि, दिनांक 18.3.2025 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उनकी शिकायत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या एस02/सी/0054/2025 को 2005 के अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत दायर द्वितीय अपील के रूप में निपटाया जा रहा है।

9. दिनांक 18.3.2025 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्णय की अवधि से यह पता चलता है कि इसे द्वितीय अपील के रूप में तय किया गया है जिसमें केवल इस आशय की संतुष्टि दर्ज की गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उसे तामील कर दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रदान करने की शिकायत पर कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गई है। न ही ऐसा कोई निष्कर्ष है जिससे यह पता चले कि प्रदान की गई जानकारी पूर्ण थी और लोक सूचना अधिकारी अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए दोषी नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.3.2025 और 14.8.2025 को पारित किए गए विवादित आदेश अमान्य हैं और तदनुसार रद्द किए जाते हैं।

10. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मामले को प्रतिवादी संख्या 1 को वापस भेजा जाता है ताकि वह याचिकाकर्ता की दिनांक 4.11.2024 की शिकायत पर निर्णय ले सके, इसे अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत दायर माना जाए। याचिकाकर्ता की उक्त शिकायत पर कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

18 मार्च, 2026

अनिल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।